उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, 1971[1]

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1971 ई०]

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 26, 1975

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 03, 2007

द्वारा संशोधित

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 10 अगस्त, 1971 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 17 अगस्त, 1971 ई0 की बैठक में संशोधन सहित स्वीकृत किया तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधन को उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 19 अगस्त, 1971 को स्वीकृत किया ।

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 29 अगस्त, 1971 ई0 को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 30 अगस्त, 1971 ई0 को प्रकाशित हुआ।]

राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले हाई स्कूलों तथा इण्टरमीडिएट कालेजों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन के भुगतान को विनियमित करने और तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारतीय गणराज्य के बाईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :––

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, 1971 कहलायेगा ।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) यह अधिनियम प्रथम अगस्त, 1971 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

परिभाषाएं

2–जब तक कि प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में ––

(क) "निरीक्षक" का तात्पर्य जिला विद्यालय निरीक्षक और किसी बालिका संस्था के सम्बन्ध में, यथास्थिति, जिला बालिका विद्यालय निरीक्षका या सम्भागीय बालिका विद्यालय निरीक्षका से है ओर प्रत्येक दशा में इसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन निरीक्षक के समस्त या किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करने के लिये राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी भी है ;

[2][(ख) "संस्था" का तात्पर्य किसी ऐसी मान्यता प्राप्त संस्था से है, जिसे तत्समय राज्य सरकार से अनुरक्षण अनुदान प्राप्त होता है, और इसमें राज्य सरकार से अनुरक्षण अनुदान प्राप्त करने वाले संस्कृत महाविद्यालय या संस्कृत विद्यालय सम्मिलित है।]

---

1. उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये दिनांक 19 जुलाई, 1971 ई0 का उ0प्र0 सरकारी असाधारण गजट देखिए ।

2. उ0 प्र0 अधिनियम 03, 2007 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ग) "अनुरक्षण अनुदान" का तात्पर्य किसी संख्या के ऐसे सहायक अनुदान से है, जिसे राज्य सरकार तदर्थ सामान्य या विशेष आदेश द्वारा संस्था के स्तर के समुपयुक्त अनुरक्षण अनुदान माने जाने के लिये निदेश दे ;

(घ) किसी संस्था के सम्बन्ध में "प्रबन्धाधिकरण" का तात्पर्य प्रशासन योजना के, यदि कोई हो, अनुसार संघटित प्रबन्ध समिति से है, और इसके अन्तर्गत प्रबन्धक या ऐसा अन्य व्यक्ति भी है, जिसमें संस्था के कार्यकलाप का प्रबन्ध तथा संचालन निहित हों ;

(ङ) किसी संस्था के "अध्यापक" का तात्पर्य ऐसे प्रिंसिपल, प्राधानाध्यापक अथवा अन्य अध्यापक से है जिसके सेवायोजन के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा उस संस्था को अनुरक्षण अनुदान दिया जाता हो, और उसके अन्तर्गत कोई ऐसा अन्य अध्यापक भी है जो संस्था की मान्यता की या उसकी किसी नए विषय में या उसकी किसी उच्चतर कक्षा के लिए मान्यता की शर्तो को पूरा करने के निमित्त अथवा किसी वर्तमान कक्षा में निरीक्षक के अनुमोदन से कोई नया अनुभाग खोलने के फलस्वरूप सेवायोजित हो ;

(च) किसी संस्था के "कर्मचारी" का तात्पर्य ऐसे गैर शिक्षक कर्मचारी से है जिसके सेवायोजन के सम्बन्ध में अनुरक्षण अनुदान राज्य सरकार द्वारा संस्था को दिया जाता हो ;

(छ) किसी अध्यापक या कर्मचारी के "वेतन" का तात्पर्य अनुरक्षण अनुदान के भुगतान के प्रयोजनार्थ अनुमोदित दरों पर तत्समय देय उपलब्धियों के कुल योग से है जिनके अन्तर्गत महंगाई या अन्य भत्ता भी है ।

(ज) ऐसे अन्य शब्दों तथा पदावलियों के, जो इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 में परिभाषित है, किन्तु यहां पर परिभाषित नहीं है, वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम में उनके लिए दिए गए है ।

समय के भीतर और अप्राधिकृत कटौतियां किये बिना वेतन का भुगतान

3–(1) किसी प्रतिकूल संविदा के होते हुए भी, किसी संस्था के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी का 31 मार्च, 1971 के पश्चात् की किसी अवधि के सम्बन्ध में वेतन उस माह के, जिसके या जिसके किसी भाग के सम्बन्ध में वह देय हो, आगामी माह के बीसवें दिन, अथवा उससे पूर्व के ऐसे दिन जो राज्य सरकार तदर्थ सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निश्चित करें, की समाप्ति के पूर्व उसे दिया जाएगा ।

(2) [1][उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए] वेतन का भुगतान बिना किसी प्रकार की कटौतियों के, सिवाय उनके जो विनियमों द्वारा या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों द्वारा अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा प्राधिकृत हो, किया जायगा।

[2][(3) यदि किसी संस्था के अध्यापक या अन्य कर्मचारी के वेतन का भुगतान प्रबन्धाधिकरण के किसी व्यतिक्रम के कारण उपधारा (1) के अनुसार न किया जाय तो निरीक्षक उसका भुगतान इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, धारा 5 की उपधारा (1) में उल्लिखित लेखे मे जमा की गई धनराशि से उस उपधारा

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 26, 1975 की धारा 17 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 26, 1975 की धारा 17ख द्वारा बढ़ाया गया।

में उल्लिखित दिनांक से दस दिन के भीतर यथास्थिति, ऐसे अध्यापक या कर्मचारी द्वारा अन्तिम बार आहरित वेतन की दर पर और नई नियुक्ति की दशा में, उस वेतनमान के न्यूनतम वेतन दर पर जिसमें उसकी नियुक्ति की गई हो, करेगा या कराएगा और तत्पश्चात् ऐसे भुगतान के सम्बन्ध में समायोजन यथासंभव शीघ्र किया जायेगा।][1]

निरीक्षण आदि करने का अधिकार

4–(1) निरीक्षक किसी समय, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, किसी संस्था का निरीक्षण कर सकता है अथवा निरीक्षण करा सकता है या उसके अध्यापकों या कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के सम्बन्ध मे उसके प्रबन्धाधिकरण से ऐसी सूचना और अभिलेख (जिसके अन्तर्गत रजिस्टर, लेखा बही तथा वाउचर भी है) मांग सकता है अथवा उसके प्रबन्धाधिकरण को ऐसी वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का अनुपालन करने के लिए कोई निदेश (जिसके अन्तर्गत किसी अध्यापक या कर्मचारी की छंटनी करने अथवा अनावश्यक व्यय को रोकने के लिए कोई भी निदेश भी है) दे सकता है, जिसे वह उचित समझे ।

(2) जब उपधारा (1) के अधीन कोई निदेश किसी अध्यापक या कर्मचारी को छंटनी करने के लिए दिया जाय तो उसका अनुपालन इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 व विनियमों के उपबन्धों अथवा यथास्थिति, उसकी सेवा की शर्तो के अनुसार किया जायेगा।

कतिपय संस्थाओं की दशा में वेतन का भुगतान करने की प्रक्रिया

5–(1) प्रत्येक संस्था का प्रबन्धाधिकरण अपने अध्यापकों तथा कर्मचारियों के वेतन का वितरण करने के प्रयोजनार्थ [2][किसी अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक] में एक लेखा खोलेगा जो प्रबन्धाधिकरण के किसी प्रतिनिधि द्वारा और निरीक्षक या ऐसे अन्य अधिकारों द्वारा, जो निरीक्षक द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, संयुक्त रूप से परिचारित किया जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि लेखा खोले जाने के पश्चात् निरीक्षक, यदि उसका, इस अधिनियम के अधीन बने किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, यह समाधान हो जाय कि लोकहित में ऐसा करना इष्टकर है, बैंक को यह अनुदेश दे सकता है कि लेखों का परिचालन केवल प्रबंधाधिकरण के प्रतिनिधि द्वारा किया जाएगा, और ऐसे अनुदेश को किसी समय विखंडित कर सकता है ;

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (2) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में अभिदिष्ट दशा में अथवा जब वेतन के वितरण में प्रबन्धाधिकरण की किसी चूक के कारण कठिनाई उत्पन्न हो, तो निरीक्षक बैंक को अनुदेश दे सकता है कि लेखा केवल उसके द्वारा या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा, जो उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, परिचालित किया जाएगा, और ऐसे अनुदेश को किसी समय विखण्डित कर सकता है ।

(2) प्रबन्धाधिकरण ऐसे शुल्क के रूप में, जो राज्य सरकार के तदर्थ सामान्य या विशेष आदेशो के अनुसार [3][और जब तक ऐसे आदेश न दिए जाय निरीक्षक के निदेशों के अनुसार] अनुरक्षण निधि का भाग होती है, छात्रों से प्राप्त धनराशि का अस्सी प्रतिशत या

---

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 26, 1975 की धारा 17 (ख) द्वारा अंतर्विष्ट ।

2. उपर्युक्त की धारा 18 (क) द्वारा प्रतिस्थापित ।

3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 26, 1975 की धारा 18 (ख) द्वारा अंतर्विष्ट और सदैव से अंतर्विष्ट किये गये समझे जाये ।

यदि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी वितरित की जाने वाली धनराशियों की अपेक्षता को ध्यान में रखते हुए उससे अधिक प्रतिशत के लिए निदेश दे, तो ऐसा उच्चतर प्रतिशत, जैसा वह निदेश दे, उक्त लेखों में, ऐसे दिनांक तक जो निरीक्षक द्वारा सामान्य या विशेष आदेशों द्वारा निर्दिष्ट किया जाय, जमा करेगा ;

प्रतिबन्ध यह है कि यदि उपर्युक्त प्रकार के उक्त प्रतिशत में शुल्क जमा न किया जाय तो निरीक्षक आदेश द्वारा प्रबन्धाधिकरण को छात्रों से कोई शुल्क वसूल करने से प्रतिषिद्ध कर सकता है, और तदुपरान्त निरीक्षक शुल्क को (या तो संस्था के अध्यापकों के माध्यम से अथवा ऐसी अन्य रीति से जिसे वह उचित समझे) सीधें छात्रों से वसूल कर सकेगा और इस प्रकार वसूल किए गए शुल्क को उक्त लेखे में जमा करेगा ।

(3) अनुरक्षण अनुदान की समस्त धनराशि और निःशुल्कता तथा अन्य तत्सदृश रियायतों की प्रतिपूर्ति के लिए अनुदान के अस्सी प्रतिशत या ऐसे उच्चतर प्रतिशत जो राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी तदर्थ सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा निश्चित करे, की धनराशि राज्य सरकार द्वारा उक्त लेखों में जमा की जाएगी ।

(4) उक्त लेखों में जमा की गई धनराशि का प्रयोग सिवाय निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए, नही किया जायगा, अर्थात् ––

(क) 31 मार्च, 1971 के पश्चात् की किसी, अवधि के सम्बन्ध में देय होने वाले उक्त वेतनों का भुगतान ;

(ख) अध्यापकों तथा कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों में संस्था के अंशदान, यदि कोई हों, को जमा करना ;

और प्रत्येक वर्ष जुलाई मास के अन्त में खाते में अवशेष धनराशि का ऐसा अंश जो संस्था के अध्यापकों तथा कर्मचारियों को उस अवधि तक, जिसके लिए छात्रों से शुल्क वसूल किया जा चुका हो, के वेतन के भुगतान का दायित्व को पूरा करने के बाद उनके महीने के वेतन के योग से अतिरिक्त हो, प्रबन्धाधिकरण को संस्था पर व्यय के लिए दे दिया जायगा।

[1][(ग) संस्था के प्रयोजनार्थ ऐसा अन्य व्यय जिसके लिए राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निदेश दिया जाय।]

(5) किसी ऐसे अध्यापक या कर्मचारी के वेतन का भुगतान उक्त लेखों से उसी बैंक में उसके लेखों में, यदि कोई हो, धनराशि का अन्तरण करके, या यदि उसका उस बैंक में कोई लेखा न हो, तो चेक द्वारा किया जायगा।

(6) किसी ऐसे स्थान के सम्बन्ध में, जहां कोई [2][अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक] न हो, इस धारा के उपबन्ध ऐसे परिष्कारों के साथ लागू होगें जिन्हें राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करें, और इस धारा में किसी बैंक के लिए अभिदेश उस दशा में किसी डाकघर बचत बैंक के लिए अभिदेश समझे जाएंगे ।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 26, 1975 की धारा 18 (ग) द्वारा अंतर्विष्ट ।

2. उपर्युक्त की धारा 18 (घ) द्वारा अंतर्विष्ट ।

उपबन्धों तथा निदेशों का प्रवर्तन

6–(1) यदि निरीक्षक का किसी संस्था या उसके अभिलेखों का निरीक्षण करने के आधार पर अथवा अन्य प्रकार से यह समाधान हो जाय कि उसके प्रबन्धाधिकरण से धारा 4 के अधीन दिए गए किसी निदेश का या धारा 3 अथवा धारा 5 के किसी उपबन्ध का अनुपालन करने में चूक की है तो वह सम्भागीय शिक्षा उपनिदेशक को वह सिफारिश कर सकता है कि उस संस्था के विरूद्ध उपधारा (2) के अधीन कार्यवाही की जाय।

(2) उपधारा (1) के अधीन सिफारिश प्राप्त होने पर सम्भागीय शिक्षा उपनिदेशक प्रबन्धाधिकरण को उक्त निदेश या उपबन्ध का अनुपालन करने के लिये अथवा एक सप्ताह के भीतर यह कारण बतलाने के लिये कह सकता है कि क्यों न प्रबन्धाधिकरण का अतिक्रमण कर दिया जाय।

(3) यदि प्रबन्धाधिकरण उपर्युक्त का अनुपालन न करे या कारण न बताये अथवा सम्भागीय शिक्षा उपनिदेशक बताये गये कारण को अपर्याप्त समझे, तो वह आदेश द्वारा प्रबन्धाधिकरण का एक वर्ष से अनाधिक ऐसी अवधि के लिये, जो आदेश मे ंनिर्दिष्ट की जाय, अतिक्रमण कर सकता है, और किसी व्यक्ति को (जिसे आगे प्राधिकृत नियंत्रक कहा गया है) उक्त अवधि के लिये संस्था का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने के लिये प्राधिकृत कर सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि सम्भागीय शिक्षा उपनिदेशक जहां वह ऐसा करना आवश्यक या इष्टकर समझे ––

(1) समय–समय पर उक्त अवधि बढ़ा सकता है, किन्तु इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि कुल मिलाकर पांच वर्ष से अधिक न हो ; या

(2) किसी भी समय उक्त आदेश को विखण्डित कर सकता है ;

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि पूर्ववर्ती प्रतिबन्धात्मक खण्ड के खण्ड (2) की किसी बात से इस धारा के अधीन नया आदेश देने के संबंध में कोई रूकावट न होगी ।

(4) उपधारा (3) के अधीन कोई आदेश दिये जाने पर प्राधिकृत नियंत्रक प्रबन्धाधिकरण को अपवर्जित करके और केवल सम्भागीय शिक्षा उपनिदेशक, निदेशक या राज्य सरकार के आदेशों के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुए, प्रबन्धाधिकरण के सभी अधिकारों का प्रयोग और सभी कृत्यों का सम्पादन, जिसके अन्तर्गत संस्था की या उसमें निहित सम्पत्ति का प्रबन्ध भी है, करेगा, और विशेष रूप से, धारा 5 में अभिदिष्ट बैंक के लेखे का परिचालन अकेले करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की किसी बात से यह नही समझा जायगा कि इससे प्राधिकृत नियंत्रक को किसी ऐसी सम्पत्ति का (प्रबन्ध के सामान्य क्रम में माह प्रतिमाह किरायें पर देने के सिवाय) अन्तरण करने या उसे भारित करने (सिवाय राज्य सरकार से संस्था के लिये कोई सहायक अनुदान प्राप्त करने की शर्त के रूप में) का अधिकार प्राप्त होता है ।

(5) इस धारा के अधीन दिया गया कोई आदेश या निदेश, संस्था के प्रबन्ध और नियंत्रण से (जिसके अन्तर्गत कोई प्रशासन योजना भी है) या उसकी अथवा उसमें निहित सम्पत्ति से संबंधित किसी अन्य अधिनियमिति या कारण में दी गयी किसी असंगत बात के होते हुए भी प्रभावी होगा ।

अपील

7–धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन प्रबन्धाधिकरण का अतिक्रमण करने के सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक के आदेश के विरूद्ध अपील प्रबन्धाधिकरण की आदेश

संसूचित किये जाने के दिनांक से एक माह के भीतर निदेशक के पास की जा सकती है, ओर निदेशक ऐसी अग्रेतर जांच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे वह आवश्यक समझे या तो उस आदेश को रद्द कर सकता है या उसकी पुष्टि कर सकता है या उसे परिष्कृत कर सकता है, और अपील का निस्तारण होने तक, आदेश का प्रवर्तन ऐसी शर्तो पर, यदि कोई हो, जिसे वह उचित समझे, स्थगित कर सकता है ।

पुनरीक्षण

8–राज्य सरकार धारा 7 के अधीन निदेशक द्वारा निर्णीत किसी अपील के अभिलेख को, निदेशक द्वारा दिये गये किसी आदेश के सही होने या उसके औचित्य के संबंध में अपना समाधान करने के प्रयोजनार्थ मंगा सकती है और उसका परीक्षण कर सकती है, और वह उस पर ऐसा आदेश दे सकती है, जिसे वह उचित समझे :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी संस्था के प्रबन्धाधिकरण का अतिक्रमण करने या उसके अतिक्रमण की अवधि को बढ़ाने के लिये इस धारा के अधीन कोई आदेश तब तक नही दिया जायेगा जब तक कि प्रबन्धाधिकरण को प्रस्तावित आदेश के विरूद्ध कारण बताने का अवसर न दे दिया जाय ।

पदों के लिये अनुमोदन

[1][**9**–कोई संस्था निदेशक या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त अन्य अधिकारी के पूर्वानुमोदन बिना अध्यापक या अन्य कर्मचारी का नया पद सृजित नही करेगी।]

वेतन के सम्बन्ध में दायित्व

[**10**–(1) राज्य सरकार प्रत्येक संस्था के अध्यापकों और कर्मचारियों के ऐसे वेतन के भुगतान के लिये उत्तरदायी होगी जो 31 मार्च, 1971 के पश्चात् किसी अवधि के संबंध में देय हो।

(2) राज्य सरकार ऐसी धनराशि को जिसके लिये उसके द्वारा उपधारा (1) के अधीन दायित्व उपगत हो उस संस्था की या उसमें निहित सम्पत्ति की आय की कुर्की द्वारा वसूल कर सकती है मानो वह धनराशि संस्था द्वारा देय मालगुजारी की कोई बकाया हो ।

(3) इस धारा की किसी बात से अध्यापक या कर्मचारी के प्रति किन्ही ऐसे देयों के लिये संस्था के दायित्व का अल्पीकरण नहीं समझा जायेगा ।

दण्ड, शास्ति तथा प्रक्रिया

11–(1) यदि धारा 4 के अधीन किसी निदेश का अथवा धारा 3 या धारा 5 के उपबन्धो का अनुपालन करने में कोई चूक की जाय तो प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जो चूक की जाने के समय, प्रबन्धक अथवा किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिसमें संस्था का प्रबन्ध और कार्य–संचालन करने का प्राधिकार निहित था, जब तक कि वह यह सिद्ध न कर दे कि चूक उसकी जानकारी के बिना हुई थी अथवा उसने ऐसी चूक की जाने को रोकने के लिये सभी प्रकार की यथोचित सावधानी बरती थी, धारा 3 के उपबन्धों के अनुपालन में चूक करने की दशा में अर्थ–दण्ड दिया जायेगा जो एक हजार रूपये तक हो सकता है और कोई अन्य चूक करने की दशा में कारावास का दण्ड दिया जायेगा जो छः माह तक हो सकता है या अर्थ–दण्ड दिया जायेगा जो एक हजार रूपये तक हो सकता है अथवा दोनों दण्ड दिये जायेंगे ।

(2) कोई भी न्यायालय सम्भागीय शिक्षा उप–निदेशक की पूर्व स्वीकृति के सिवाय इस धारा के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा ।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा किन्तु कोई पुलिस अधिकारी जो उप–अधीक्षक के पद से नीचे का हो, प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के आदेश के बिना

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26, 1975 की धारा 19 द्वारा प्रतिस्थापित ।

किसी ऐसे अपराध का न तो अनुसंधान करेगा न वारन्ट के बिना उसके लिये गिरफ्तारी करेगा।

(4) कोई भी न्यायालय जो प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के नीचे का हो, इस धारा के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नही करेगा।

अपवाद

12–इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त या इसके अधीन किसी अधिकार का प्रयोग करके राज्य सरकार, निदेशक, सम्भागीय शिक्षा उप–निदेशक या निरीक्षक या अन्य अधिकारी द्वारा दिये गये किसी आदेश या निवेश पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नही की जायेगी।

स्थानीय प्राधिकरणों आदि द्वारा अनुरक्षित संस्थाओं के सम्बन्ध में छूट

13–इस अधिनियम की कोई बात [1][* * *] रेलवे प्रशासन द्वारा अथवा किसी ऐसे अन्य औद्योगिक उपक्रम द्वारा, जिसका स्वामी भारत सरकार या राज्य सरकार हो या जिस पर उसका नियंत्रण हो, अनुरक्षित संस्थाओं पर लागू न होगी ।

सद्‌भावना से किए गए कार्यो के लिए संरक्षण

14–इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाये गये किसी नियम या दिये गये किसी आदेश या निदेश के अनुसरण में सद्‌भावना से किये गये या किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी कार्य के संबंध में राज्य सरकार, निदेशक, सम्भागीय शिक्षा उप–निदेशक, निरीक्षक, प्राधिकृत नियंत्रक या किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद, अभियोग या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी ।

कठिनाइयां दूर करने का अधिकार

15–(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में, या इस अधिनियम में किसी बात के होने के कारण, कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अवसर की अपेक्षानुसार, गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसे प्रासंगिक या आनुषंगिक उपबन्ध, जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के या इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के या विनियमों के किसी उपबन्धों का अनुकूलन या परिष्कार करने का उपबन्ध भी है, किन्तु जिससे सार पर प्रभाव न पड़े, बना सकती है, जो वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये आवश्यक या इष्टकर समझे ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष की समाप्ति पर नही किया जायेगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, यथासंभव शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनो सदनों के समक्ष रखा जायेगा ।

नियम बनाने का अधिकार

16–(1) राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को का कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों मे कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेगें और, जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों, अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनो सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26, 1975 की धारा 20 द्वारा निकाले गए ।

निरसन तथा अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3, 1971

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7, 1971

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10, 1971

17– (1) उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अध्यादेश, 1971, उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (द्वितीय) अध्यादेश, 1971 तथा उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) अध्यादेश, 1971 एतद्द्वारा निरसित किये जाते है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेशों के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई क्रिया इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गई क्रिया समझी जायेगी मानों यह अधिनियम 16 जनवरी, 1971 को प्रवृत्त हो गया था।